IN THE HON'BLEM.P. BOARD OF REVENUE, GWALIOR (M.P.)

REVISION No.   /2018

DATE OF PRESENTATION 18 /01/2018

PBR/निगरानी/देवास/भू.रा/2018/0549

Ashok Kumar Choudhary S/o ShriRajendra Singh Choudhary
Age: 66 years, Occupation: Agriculture,
Address: 202. Ciassic Crown,
5/2, Old Palasiya, Indore (M.P.)

APPLICANT

VERSUS

1. Vinod Kumar S/o Roopchand Jain,
   Address: 116, Anjani Nagar, Aerodrome Road, Indore (M.P.)
2. Shyam Sunder S/o OmprakashTiwari,
   Address: 9/3, ParsiMohalla, Chhawni, Indore (M.P.)
3. Anil S/o Fatehchand Jain,
   Address: 201, Regency Menor, Khajrana Road, Indore (M.P.)
4. Anita BaiW/oGovindYadav,
   Address: Ward No.12, Khategaon, District Dewas (M.P.)

RESPONDENTS

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

Against the order dated 22/12/2017 passed by the Additional Commissioner, Ujjain Division, Ujjain in case No.614/Appeal/2016-17, Ashok Kumar Vs. Vinod Kumar and others

And

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/549

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 614/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जांएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 द्वारा प्रकरण क्र. 1/अ-12/2015-16 में राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन दिनांक 31.03.2016 के आधार पर अनावेदक क्र. 3 एवं 4 से कब्जा दिलाए जाने हेतु संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने 14.12.2016 से आवेदक का आवेदन स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक एवं अनावेदक क्र. 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पृथक-पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों प्रकरणों को सम्मिलित कर अपने आदेश दिनांक 08.02.2017 द्वारा अपील को निरस्त किया गया, जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष आवेदक द्वारा द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 22.12.2017 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के संबंध में जो पंचनामा एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें अनावेदक क्र. 1 व 2 की भूमि के पूर्वी कोने पर अनीताबाई वगैरह का आधिपत्य होना बताया है, किंतु अपने प्रतिवेदन व पंचनामे में	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अनीताबाई के अलावा अन्य कौन लोग हैं जिनका आधिपत्य है। अनावेदक क्र. 1 व 2 के द्वारा भी धारा 250 के आवेदन में अनीताबाई के अलावा अन्य लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 31.03.2016 को सीमांकन करना बताया है जबकि उसके द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन नपती के 20 दिन पूर्व दिनांक 10.03.2016 का है, जिससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना तथा मौके पर जाए बिना ही कार्यालय में बैठकर अनावेदक क्र. 1 व 2 के साथ मिली भगत कर पंचनामा एवं सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है और ऐसे दूषित सीमांकन के आधार पर कब्जा प्राप्ति की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक क्र. 1 व 2 की भूमि कृषि भूमि ना होकर व्यवसायिक उपयोग की भूमि है और व्यवसायिक उपयोग की भूमि के संबंध में तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक क्र. 1 व 2 की भूमि की रजिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्र. 3 अनिल की भूमि भी अनावेदक क्र. 1 व 2 की भूमि से लगी हुई नहीं है। उसके बाद भी अनिल एवं राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अनावेदक क्र. 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनिल एवं अनीताबाई को पक्षकार बनाकर अवैधानिक आदेश पारित करवाकर प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अशोक कुमार की अपील को उपखण्ड पदाधिकारी के द्वारा खारिज करने के बाद विनोद कुमार व श्यामसुन्दर ने फिर अतिक्रामक भाग का कब्जा लिए जाने के आवेदन दिनांक 16.02.2017 को किया। दिनांक	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/549

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	04.05.2017 को विनोद कुमार व श्यामसुन्दर को अतिक्रामक भाग का कब्जा दिलाया गया। सीमाओं की सुरक्षार्थ पुन: विनोद कुमार व श्यामसुन्दर ने बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया। दिनांक 16.05.2017 को खरीदी गई जमीन विशेषकर अतिक्रामक भाग पर विनोद कुमार व श्यामसुन्दर का कब्जा था। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि माननीय राजस्व् मण्डल द्वारा अरमानखान विरुद्ध श्याममोहन के प्रकरण में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि, यदि धारा 129 मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता के अधीन सीमांकन की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि आवेदक सीमांकन की कार्यवाही से परिलक्षित था तो उसे सीमांकन के उपरांत उपचार प्राप्त करना चाहिए था जिसके संबंध में 2006 आर.एन. 415 अवलोकनीय है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अमरीबाई विरुद्ध मांगीलाल के प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित किया गया है कि संहिता की धारा 250 की पूर्व विनिश्चित कार्यवाही को आक्षेपित नहीं किया जा सकता। जिसके संबंध में 2005 आर.एन. 178 अवलोकनीय है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि मुरलीधर विरुद्ध राजस्व मण्डल के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि सूचना के बावजूद व्यक्ति सीमांकन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होता तो संहिता की धारा 129 की कार्यवाही को अंतिमता प्राप्त हो जाती है एवं संहिता की धारा 250 के अधीन कार्यवाही में धारा 129 की पूर्व विनिश्चित कार्यवाही को आक्षेपित नहीं किया जा सकता। जिसके संबंध में 2013 आर.एन. 277, 1997 आर.एन. 92 अवलोकनीय है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि कन्छेदी विरुद्ध कसीया के प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	किया गया है कि द्वितीय अपील में नये अभिवचन या प्रकरण के तथ्यों से परे बिन्दुओं को विचार में नहीं लिया जा सकता एवं नये अभिवचन के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जिसके संबंध में 2013 आर.एन. 346 अवलोकनीय है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान प्रकरण में मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या तहसील न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक के जिस सीमांकन कार्यवाही के आधार पर आदेश पारित किया है, वह सीमांकन विधिवत था ? तहसील न्यायालय के अभिलेख में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश एवं सीमांकन पंचनामा की प्रति आदि की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं, इनको देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्र. 4 जिसका मौका पंचनामा पर कब्जा बताया गया है, उसके सूचना-पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं हैं। इसी प्रकार आवेदक की ओर से किसी भूपेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त मौका पंचनामा दिनांक 31.03.2016 का है जबकि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक का जो आदेश है वह 10.03.2016 का है। उक्त तथ्यों को देखते हुए तथाकथित सीमांकन कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। अत: ऐसे अवैधानिक सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय ने आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है। तथा दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी इस ओर ध्यान न देने में वैधानिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं हैं। जहां तक अनावेदक अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि संहिता की धारा-250 की कार्यवाही में सीमांकन कार्यवाही को आक्षेपित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा प्रकरण क्र. निग0 562-पीबीआर/09 एवं 563-पीबीआर/09 एवं 564-पीबीआर/10 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2016 अवलोकनीय है। इन निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "सामान्य परिस्थितियों में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में संहिता की धारा 129 के	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/549

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अंतमर्गत की गई सीमांकन कार्यवाही को हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि प्रथमदृष्टया ही सीमांकन कार्यवाही में गंभीर अनियमितता या अवैधानिकता पाई जाती है तो संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि सीमांकन कार्यवाही के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई हो अथवा वरिष्ठ न्यायालय से निराकृत नहीं हो गई हो।" चूंकि वर्तमान प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही अवैधानिक एवं अनियमित पाई गई हैऔर आवेदक द्वारा उसे निगरानी के रूप में वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में अनावेदक का उक्त तर्क अमान्य किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि यह प्रकरण पुन: उभयपक्षों की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय को प्रतयावर्तित किया जाए। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं साथ ही राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2016 भी अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार पुन: सीमांकन कर विधिवत आदेश पारित करें। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	